तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी / 4326 / 2003 / टीए / सवाई माधोपुर **बंशी बनाम लड्डू**	

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अशोक अग्रवाल/श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांकः22–10–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (मुख्यालय) सवाई माधोपुर के विविध प्रार्थना पत्र संख्या 9/2001 बउनवानी सुखदेवा बनाम गोविन्दा में पारित निर्णय दिनांक 28–11–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं0 345, 347 व 349 वाके ग्राम ओड़कलां एवं खसरा नं0 196 पाटरी तोपखाना तहसील खण्डार वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की खुदकाश्त आराजी है। वादी को ऑखों से दिखना बन्द हो गया था। इसलिए प्रतिवादीगण से कुछ समय के लिए आराजी को काश्त करवाया परन्तु उन्होंने साजिस रचकर खसरा गिरदावरी में अपना नाम अंकित करवा लिया और उक्त खसरा गिरदावरी में हुए इन्द्राजात की आड़ में प्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त में दखल करते हैं एवं बेदखल करने की धमकी देते हैं। इसलिए उन्हें पाबन्द किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31–7–1986 को वादी का वाद खारिज कर दिया। जिस निर्णय के विरूद्ध वादी/प्रार्थी ने प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9–8–1995 के द्वारा अपील स्वीकार कर ली। उक्त निर्णय दिनांक 9–8–1995 के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो मण्डल द्वारा उनके आदेश दिनांक 30–10–1998 के द्वारा प्रार्थी/वादी को केवल मात्र खोदार माना और अप्रार्थी/प्रतिवादी को सहकृषिक नहीं मानते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त कर दी, तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उसकी इज्ञराय की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 4326 / 2003 / टीए / सवाई माधोपुर** **बंशी बनाम लड्डू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पालना तहसीलदार खण्डार ने कर दी। उक्त आदेश के बाद अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सहायक कलक्टर (मु0) सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होंने बिना क्षेत्राधिकार होते हुए भी स्वीकार कर लिया तथा बेदखल नहीं किये जाने संबंधी आदेश प्रदान कर दिये जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा मण्डल में एक रिवीजन प्रस्तुत करने के एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में प्रस्तुत कर दी जो दिनांक 13–8–2003 के द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज कर दी। विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28–11–2002 से व्यथित होकर प्रार्थीगण/निगराकार द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 9–8–1995 का दावा मय अपील अप्रार्थीगण के खिलाफ निर्णित किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री किया था एवं समस्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण की एक मात्र खुदकाश्त एवं खातेदारी की मानकर ही निर्णय पारित किया है जिसकी इज्राय पालना तहसीलदार खण्डार ने सही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय एवं इस न्यायालय के निर्णय में अनावश्यक हस्तक्षेप कर अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने संबंधी आदेश पारित कर दिया जो कि घोर क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण के पिता औंकार आराजी ख0 नं0 345, 347, 349 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नं0 196 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के 1/3 हिस्से पर काबिज होता था। अप्रार्थीगण के पिता ओंकार कभी ओणकलां में नहीं रहा बल्कि बड़ोद में रहा है एवं अप्रार्थीगण भी बड़ोद में रह रहे हैं एवं बड़ोद में ही अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त उक्त वादग्रस्त आराजी पर औंकार एवं अप्रार्थीगण का कोई संबंध व वास्ता नहीं होने के कारण वाद/अपी प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 4326 / 2003 / टीए / सवाई माधोपुर** **बंशी बनाम लड्डू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गई थी एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने समस्त तथ्यों की जांच कर इज्राय की पालना की एवं प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण सं0 326 एवं 354 तस्दीक किया जिसकी अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को की जो खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय अपीलीय न्यायालय का है जहां पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था व संबंधित तहसीलदार खण्डार को प्रस्तुत किया जाना था जहां पर नहीं किया एवं सहायक कलक्टर के पेश किया जिसको सुनने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर था। तहसीलदार खण्डार के आदेश की पाना काफी समय पहले हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की मंशा समझने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–11–2002 को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संशोधन इज्राय अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 निरस्त किया जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/गैर निगराकार ने अभिभाषक निगराकार के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जो दिनांक 31–7–1986 को खारिज किया गया जिसकी अपीलीय न्यायालय में अपील होने के दौरान राजीनामा का प्रार्थना पत्र दिनांक 25–9–1986 को प्रस्तुत किया गया। नामान्तकरण सं0 354 दिनांक 2–7–1999 को तस्दीक किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–2002 को उचित एवं कानूनी निर्णय पारित किया गया। अप्रार्थीगण का नाम गलत विलोपित किया गया है। इसलिए निगरानी खारिज की जावें।

6– उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– विद्वान सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28–11–2002 में अंकित किया है कि तहसीलदार खण्डार को आदेश दिये जाते हैं कि वह विवादित आराजी ख0 नं0 345, 347, 349 वाके ग्राम ओणकलां व खसरा नं0 196 वाके ग्राम पादरी तोपखाना के 1/3 भाग पर मृतक ओंकार के वारिसान के जो नाम जरिये इन्तकाल सं0 326 व 354 हटाये हैं उनको पुर्नस्थापित करते हुए राजस्व भू–अभिलेख में 1/3 भाग के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / 4326 / 2003 / टीए / सवाई माधोपुर</u>** **बंशी बनाम लड्डू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खातेदार के रूप में दर्ज करें तथा उनको न ही 1/3 भाग से बेदखल करें। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी में अंकित किया है कि तहसीलदार खण्डार ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 9–8–1995 का दावा मय अपील अप्रार्थीगण के खिलाफ निर्णित किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री किया था एवं समस्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण की एक मात्र खुदकाश्त एवं खातेदारी की मानकर ही निर्णय पारित किया है जिसकी इज्राय पालना तहसीलदार खण्डार ने सही रूप से की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय मण्डल के निर्णय में अनावश्यक हस्तक्षेप कर अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने संबंधी आदेश पारित कर दिया जो कि घोर क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9–8–1995 में अंकित किया है कि सहायक जिलाधीश (मु0) सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–1986 निरस्त की जाकर वादीगण/अपीलार्थीगण का दावा डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नं0 345, 347, 349 ग्राम ओनकलाल तहसील खण्डार एवं भूमि खसरा नं0 196 ग्राम पादड़ी ताफरफल तहसील खण्डार का अपीलार्थीगण को काबिज खातेदार माना जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे न तो स्वयं न ही किसी अन्य से वादी/अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग उपरोक्त आराजीयात में बाधा उत्पन्न नहीं करें, नहीं करावें।

8– विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को काबिज खातेदार माना जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। अपीलार्थी को किसी प्रकार का खातेदार घोषित नहीं किया गया लेकिन तहसीलदार ने निर्णय को समझने में त्रुटि कर वादीगण को विवादित भूमि की समस्त खातेदारी दर्ज करने के संबंध में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया और प्रतिवादी औंकार के वारिसान के नाम हटा दिये जो विधिसम्मत नहीं था। अतः सहायक कलक्टर का निर्णय दिनांक 28–11–2002 उचित होने से निगरानी खारिज योग्य है।

9– फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सवाई माधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / 4326 / 2003 / टीए / सवाई माधोपुर</u>** **बंशी बनाम लड्डू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28-11-2002 बहाल रखा जाता है। 10- पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	